उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail**: contactuprera@up-rera.in,
Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL,
Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट

लखनऊ- 26.09.2024

आर.सी. से वसूल धनराशि आवंटियों को भेजने हेतु रेरा पोर्टल को बैंक पोर्टल से जोड़ा गया, न्यूनतम समय में आवंटी के खाते में पहुंचेगी धनराशि

- उ.प्र. रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष वसूल धनराशि को शिकायतकर्ताओं के खातों में तत्परता से भेजने हेतु सम्बन्धित बैंक को रेरा पोर्टल साथ ए.पी.आई. के माध्यम से जोड़ा गया है।
- रेरा के बैंक खाते में चेक अथवा डी.डी का क्लीयरेंस होते ही बैंक द्वारा इसकी सूचना अपने पोर्टल पर अपडेट की जाएगी जो ए.पी.आई. साफ्टवेयर के माध्यम से शून्य समय में रेरा पोर्टल पर भी रियल टाइम बेस पर अपडेट होगी।
- क्लीयरेंस की अपडेट के पश्चात रेरा पोर्टल द्वारा तत्काल सम्बन्धित आवंटी को ऑटो-जेनरेटेड ई-मेल जाएगा जिसके साथ शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न होगा।
- आवंटी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नोटराइज्ड शपथ-पत्र उ.प्र. रेरा के लखनऊ या गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवंटी का शपथ-पत्र प्राप्त होने पर धनराशि उसके खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से न्यूनतम समय में अंतरित कर दी जाएगी और इसकी सूचना भी रेरा पोर्टल पर रियल टाइम बेस पर अपडेट हो जाएगी।

लखनऊ / गौतमबुद्धनगर: उ.प्र. रेरा में आवंटियों को प्रोमोटर से मिलने वाली धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था है। सम्बन्धित जिलाधिकारी से वसूल धनराशि प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता से एक शपथ-पत्र प्राप्त किया जाता है और उसके बाद शिकायतकर्ता के खाते में धनराशि अंतरित की जाती है। इस कार्यवाही में लगने वाले समय को कम से कम करने के लिए रेरा द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है जिसे पोर्टल पर देखा जा सकेगा।

पूर्व में विद्यमान व्यवस्था में बैंक में चेक अथवा डी.डी क्लीयर होने के बाद पत्रावली से पत्र बनाकर पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायतकर्ता को सूचना जाती थी। इस प्रक्रिया में लगने वाले समयसीमा को शून्य करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था में जिलाधिकारी से प्राप्त डी.डी. या चेक का क्लियरेन्स होते ही बैंक द्वारा धनराशि का विवरण बैंक के सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर दिया जाएगा और उसे ए.पी.आई. (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) के माध्यम से उ.प्र.

रेरा के पोर्टल से रियल टाइम बेस पर साझा किया जाएगा। रेरा के पोर्टल पर धनराशि प्राप्ति का विवरण अपडेट होते ही सम्बन्धित शिकायतकर्ता को तत्काल रेरा पोर्टल से एक ऑटो जनरेटेड ई-मेल जाएगा जिसके साथ शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न होगा। शिकायतकर्ता द्वारा 10 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह नोटराइज्ड शपथ-पत्र रेरा में जमा किया जाएगा।

शिकायतकर्ता के खाते में धनराशि के अंतरण हेतु यह शपथ-पत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसको तत्परतापूर्वक रेरा में जमा किया जाना अपेक्षित है। इस शपथ-पत्र में शिकायतकर्ता के बैंक एकाउण्ट का विवरण तथा संयुक्त आवंटन होने की दशा में दोनों आवंटियों का संयुक्त बैंक एकाउण्ट विवरण दिया जाना होगा। शपथ-पत्र के माध्यम से यह जानकारी भी देनी होगी कि क्या प्रोमोटर से कोई धनराशि वापस प्राप्त हुई है, या प्रश्नगत मामले में कोई बैंक ऋण है। शिकायतकर्ता को बैंक ऋण चुकाने की वचनबद्धता देनी होगी। शिकायतकर्ता को यह भी बताना है कि क्या प्रकरण में किसी न्यायालय में कोई स्थगन आदेश है! शपथ-पत्र के साथ बैंक एकाउण्ट की पुष्टि में पासबुक की प्रति या कैन्सेल्ड चेक की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

आवंटी द्वारा यह शपथ-पत्र मूल रूप में स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उ.प्र. रेरा के मुख्यालय या ग्रेटर नोएडा कार्यालय, जहां से प्रकरण सम्बन्धित है, में जमा किया जाएगा और उसकी एक स्कैन्ड कॉपी अपने लॉग-इन से रेरा के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। वसूली प्रमाण-पत्रों में निहित धनराशि की मात्रा अधिक होने की दशा में जिलाधिकारी कार्यालय से सामान्यतया एक से अधिक किश्तों में धनराशि वसूल कर के भेजी जाती है। शिकायतकर्ता द्वारा मात्र पहली बार शपथ-पत्र देना होगा। शिकायतकर्ता के खाते में धनराशि अंतरित होने के साथ-साथ सुसंगत विवरण रेरा के पोर्टल पर भी स्वतः अपडेट हो जाएंगे। शपथ-पत्र की यह व्यवस्था अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि पर भी लागू होगी। इस सम्बन्ध में दिनांकः 10-09-2024 को एस.ओ.पी. जारी की गयी है जो रेरा पोर्टल पर उपलब्ध है।

श्री संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा द्वारा इस निर्णय की जानकारी देते हुए यह कहा गया कि उ.प्र. रेरा आवंटियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है कि आवंटियों को रेरा के निर्णयों का लाभ कम से कम समय में उपलब्ध हो जाए। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों से प्राप्त धनराशि को आवंटियों के खातों में शीघ्रता से अंतरित करने हेतु सम्बन्धित बैंक के साथ ए.पी.आई. ली गयी है। इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि शिकायतकर्ता के खाते में धनराशि अन्तरण होने में अनावश्यक समय नहीं लगेगा। बैंक से क्लियरेन्स प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को शपथ-पत्र के लिए सूचना भेजने या शपथ-पत्र प्राप्त करने में भी लगने वाले समय को शून्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही धनराशि के अंतरण की प्रक्रिया में किए जाने वाले समस्त कार्यों की भली-भांति से मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित होगी। उनके द्वारा आवंटियों से आकांक्षा की गयी कि वे तत्परतापूर्वक अपने शपथ-पत्र रेरा के कार्यालय में उपलब्ध करा दें जिससे आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उनके खातों में धनराशि प्राप्त होगी।